

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान
जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
Phone & Fax-0141- 2221403/2223239 web- www.lgraj.org E-mail ID-
@rajasthan@gmail.com

कमंक एक (56) / सीई / बीएनबी / एमजेएसए / केज-2 / 18 / 25852

दिनांक: 04/09/18

वीडियो कॉन्फ्रेंस सूचना

दिनांक 10.04.2018 को सायं: 4.30 बजे माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार एवं माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन द्वारा समस्त जिला कलेक्टर के साथ मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (राहरी) की समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला स्तरीय अधिकारी यथा वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भू-जल विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग आदि उपस्थित रहेंगे। अतः कृपया समस्त नगरीय निकायों के आयुक्त/अधिसाथी अधिकारी मय संबंधित अभियंता नियत समय पर संबंधित जिला कलेक्टर के साथ अपनी प्रगति रिपोर्ट लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेना सुनिश्चित करें।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

कमंक एक (56) / सीई / बीएनबी / एमजेएसए / केज-2 / 18 / 25853-26092 दिनांक-04/09/18

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय अध्यक्ष राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वाठ अगिठ एवं भू-जल विभाग, राजस्थान।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, DoIT&C, जयपुर।
10. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, राजस्थान।
11. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
12. Head of Forest Force (HoFF) अरुण्य मवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
13. समस्त जिले कलेक्टर, राजस्थान।
14. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, समस्त।
15. आयुक्त/अधिसाथी अधिकारी, नगरनिगम/परिषद/पंचिका, समस्त राजस्थान।
16. प्रोग्रामर/आईटी प्रबोध, निदेशालय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
17. CMAR, निदेशालय को आवश्यक व्यवस्था हेतु।
18. सुरक्षित पत्रावली।

(मूकेश शर्मा)
मुख्य अभियंता

D:\MSA\1509\65.c001